

2026:AHC-LKO:22570-BD

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2617/2026

ब्रह्मा नंद। सिंह उर्फ ब्रह्मानंद सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से और 3 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

---

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : संजीव कुमार सिंह, वेद प्रकाश शर्माप्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय सं. - 11**

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से पेश विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।

2. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 4 को कोई नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

3. चुनौती के दायरे में वह प्रथम सूचना रिपोर्ट है, जो दिनांक 22.01.2026 को पुलिस थाना भिंगा, जिला श्रावस्ती में वाद अपराध संख्या 0033/2026 के रूप में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) और 103(1) के अंतर्गत दर्ज की गई थी; यह प्रथम सूचना रिपोर्ट विरोधी पक्ष संख्या 4 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से झूठे हैं।

5. विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती देते समय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो आधार प्रस्तुत किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं: (क) प्रथम सूचना रिपोर्ट याचिकाकर्ता की सगी बहन द्वारा दर्ज कराई गई है; (ख) याचिकाकर्ता और उसकी बहन के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है; (ग) जाँच स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा ही की गई थी; (घ) प्रथम सूचना रिपोर्ट भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(4) के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत करके दर्ज कराई गई है; और (ड.) पुलिस रिपोर्ट, जो यह दर्शाती है कि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं किया गया है।

6. इसके अतिरिक्त कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए उपर्युक्त आधार स्पष्ट रूप से भ्रामक और गलत धारणा पर आधारित हैं।

8. इसके कारणों को समझना कठिन नहीं है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मुस्कान बनाम ईशान खान (सतानिया)** और अन्य **2025 आईएनएससी 1287** के वाद में यह धारित किया है कि न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की सत्यता की जाँच करने के लिए कोई लघु-विचारण करें।

10. सुविधा की दृष्टि से, **मुस्कान (उपर्युक्त)** वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे उद्धृत किया गया है:

"हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने शिकायतों और प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या अन्यथा के संबंध में जाँच प्रारंभ करके विधिक त्रुटि की है। सामान्यतः, किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभिखण्डित करने के लिए, यह सिद्ध करना आवश्यक होता है कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। वर्तमान वाद में, शिकायतों और प्रथम सूचना रिपोर्ट को एक साथ पढ़ने पर, यह देखा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया उत्पीड़न और दहेज की मांग के आरोप सिद्ध होते हैं; इसके बावजूद, उच्च न्यायालय ने निजी प्रतिवादियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट को मुख्य

रूप से इस आधार पर अभिखण्डित कर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा पहले दाखिल की गई दो शिकायतों में दिनांक 22.07.2021 और 27.11.2022 को हुई विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख नहीं था, और बाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनका उल्लेख केवल एक बाद का विचार था, और यह प्रतिवादी संख्या 1/पति द्वारा अपीलकर्ता को भेजे गए विधिक नोटिस का एक प्रतिवाद कदम था, क्योंकि वह अपने वैवाहिक घर वापस नहीं आ रही थी। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई यह कार्यप्रणाली, हमारी सुविचारित राय में, एक लघु-परीक्षण करने के समान है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सोमजीत मल्लिक बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (2024 आईएनएससी 772)** के वाद में धारित किया है:

18. यह एक स्थापित विधिक सिद्धांत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट सभी आरोपों का पूरा संकलन नहीं होती। इसलिए, यह जाँचने के लिए कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है, आरोपों में किसी कमी को नहीं, बल्कि आरोपों के मूल तत्व को देखा जाना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं। इस स्तर पर, न्यायालय को यह निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती कि वास्तव में कौन-सा विशिष्ट अपराध किया गया है। यह केवल जाँच पूरी होने के बाद, आरोप तय करते समय होता है जब जाँच के दौरान एकत्रित साक्ष्य न्यायालय के समक्ष होते हैं कि न्यायालय को इस बारे में अपनी राय बनानी होती है कि अभियुक्त पर किस अपराध के लिए विचारण किया जाना चाहिए। उससे पहले, यदि

न्यायालय संतुष्ट हो, तो वह अभियुक्त को आरोप-मुक्त भी कर सकता है। अतः, जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के किसी बेईमान आचरण का आरोप लगाया गया हो और यदि वह आरोप साक्ष्यों द्वारा समर्थित हो, जिससे किसी संज्ञेय अपराध का होना प्रकट होता हो तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभिखण्डित करके जाँच को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

12. **सोमजीत मल्लिक (उपर्युक्त)** वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि जब किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट से किसी संज्ञेय अपराध का होना पता चलता है, तो उस प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के मूल तत्व को देखना आवश्यक होता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं। इस स्तर पर, न्यायालय को यह निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती कि वास्तव में कौन-सा विशिष्ट अपराध किया गया है। इसलिए, जब प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा किसी संज्ञेय अपराध का आरोप लगाया गया हो, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभिखण्डित करके जाँच में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

13. वैसे भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने **संजय कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2025 लाइव लॉ (एससी) 1170** के वाद में यह धारित किया है कि जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से कोई संज्ञेय अपराध सिद्ध होता है, वहाँ उच्च न्यायालयों से हस्तक्षेप करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

14. सुविधा के लिए, संजय कुमार गुप्ता (उपर्युक्त) के वाद में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ निम्नानुसार उद्धृत की गई हैं (अनुच्छेद 6 और 7):-

"6. उच्च न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिखण्डित करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इंकार कर दिया, फिर भी अभियुक्तों को अर्थात्, यहाँ के निजी प्रतिवादियों को आरोपपत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी से पूरी सुरक्षा दे दी; हमारी राय में, इससे वाद की जाँच को गंभीर नुकसान पहुँचा है। इस तरह के निर्देश के पीछे न तो कोई तर्क है और न ही कोई औचित्य।

7. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश राज्य में गिरफ्तारी पूर्व जमानत के प्रावधान लागू हैं। इसलिए, किसी अपराध का अभियुक्त कोई भी व्यक्ति, यदि ऐसी सुरक्षा चाहता है, तो उसे सर्वप्रथम सक्षम सत्र न्यायालय में जाकर उचित विधिक उपाय अपनाना होगा। किसी आपराधिक रिट याचिका में गिरफ्तारी पूर्व जमानत का अनुतोष देना जबकि साथ ही कार्यवाही अभिखण्डित करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इंकार कर देना पूरी तरह से अस्वीकार्य और अनुमेय नहीं है, जैसा कि इस न्यायालय ने नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर (पी) (लिमिटेड) बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) 19 एससीसी 401 के वाद में कहा है।

"22. जैसा कि इस न्यायालय ने हेमा मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [हेमा मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2014) 4 एससीसी 453 : (2014) 2 एससीसी (क्रिमिलन) 363] के वाद

में कहा है, यद्यपि उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 के अंतर्गत बहुत व्यापक शक्तियाँ हैं, फिर भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग न्याय के उल्लंघन को रोकने के लिए और अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके विधि की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। इसमें आगे यह भी कहा गया है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ऐसी याचिका पर सुनवाई करते समय, उच्च न्यायालय को दो हितों के बीच संतुलन बनाना होता है। एक ओर, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होता है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत ऐसी शक्ति का प्रयोग इतनी उदारता से न किया जाए कि यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 की कार्यवाही परिवर्तित हो जाए। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि दूसरी ओर, जब भी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी विशेष वाद में यदि गिरफ्तारी से पहले सुरक्षा नहीं दी जाती है, तो यह न्याय की भारी विफलता होगी और विचारण के दौरान गिरफ्तारी का कोई मामला ही नहीं बनता है, तो उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अग्रिम जमानत के रूप में अनुतोष देने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन, इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस शक्ति का प्रयोग बहुत कम मामलों में ही किया जाना चाहिए, और सिर्फ़ उन्हीं वादों में, जहाँ इसकी आवश्यकता हो और न्यायसंगत हो। यद्यपि गिरफ्तारी न करने या "कोई दंडात्मक उदार न उठाने" जैसा कोई भी व्यापक अंतरिम आदेश, यांत्रिक रूप से या बस एक नियमित तरीके से पारित नहीं किया जा सकता है।

23. जहाँ तक, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट /शिकायत को अभिखण्डित करने की याचिकाओं को खारिज करते समय और यह राय देते हुए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट /शिकायत को अभिखण्डित करने का कोई मामला नहीं बनता है यह आदेश पारित करने का प्रश्न है कि अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दाखिल होने तक और/या जाँच के दौरान गिरफ्तारी न की जाए या "कोई दंडात्मक कदम न उठाए जाएँ", अथवा जाँच पूरी होने तक गिरफ्तारी न की जाए; तो ऐसा आदेश पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

15. तदनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संजय कुमार गुप्ता (उपर्युक्त), सोमजीत मल्लिक (उपर्युक्त) और साथ ही मुस्कान (उपर्युक्त) के वार्दों में निर्धारित विधि को ध्यान में रखते हुए, और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट की सामग्री पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक संज्ञेय अपराध बनता है; और विचाराधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार करना एक लघु-विचारण करने के समान होगा।

16. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

**31 मार्च 2026**

अरविंद



(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन)

Translated Version. Not for Legal Use.